छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 83/2006

श्री एम.जी. गुप्ता,
लेखापाल,
आर्शीवाद 26 रोड नं. 3,
वर्धमान नगर, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 13 मार्च 2007)

श्री एम.जी. गुप्ता के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र में उल्लेख किया है कि आयोग के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 83/2006 में आयोग के द्वारा निर्देश दिये गये थे कि आवेदक को 15 दिनों के अन्दर वांछित जानकारी निःशुल्क दी जावे, किन्तु उसे अभी तक वांछित जानकारी नहीं दी गई तथा संबंधित जानकारी के सहपत्र भी उपलब्ध नहीं कराये गये।

2/ प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 23–12–2006 को आयोग ने निर्देश दिये कि आवेदक को जो जानकारी नहीं दी गई है, उसके बारे में जाँच–दल गठित होने की सूचना जन सूचना अधिकारी के द्वारा दी गई है, किन्तु जांच की गति धीमी प्रतीत होती है, अतः संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं को निर्देश दिये गये कि जाँच कार्य 01 माह में पूर्ण कर उसकी प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। दिनांक 08–02–2007 को जानकारी उपलब्ध न कराने के फलस्वरूप जन सूचना अधिकारी, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को 20,000/– रुपये का अर्थदण्ड सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20 के अंतर्गत क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। दिनांक 27–02–2007 को प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी ने नोटिस का जवाब दिया। प्रतिअपीलार्थी ने बतलाया कि जाँच–दल की रिपोर्ट दिनांक 18–01–2007 को संचालनालय को प्राप्त हुई। संचालक, स्वास्थ्य सेवायें की ओर से जन सूचना अधिकारी को रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलार्थी को उक्त रिपोर्ट प्रदान की गई है। किन्तु जाँच दल ने आवेदक की जाँच का प्रतिवेदन दिनांक 18–01–2007 को दिया, जिसमें आवेदक के द्वारा की गई शिकायत के बिन्दुओं की जाँच भी सम्मिलित है। जाँच रिपोर्ट आवेदक को दिनांक 31–01–2007 को पंजीकृत डाक से भेजी गई। जाँच रिपोर्ट की प्रति सूचना आयोग को भी प्रस्तुत की गई है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जाँच अभी पूर्णरूप से नहीं हुई है। केवल अंतरिम जाँच

प्रतिवेदन है। जाँच दल ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि सम्पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे कि जाँच पूरी नहीं की जा सकी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव से अभिलेखों की मांग की गई। प्रकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि कुछ अभिलेख मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, उनके द्वारा आवेदक से अभिलेख मांगे गये थे। आवेदक ने पूर्व में बतलाया था कि उसके पास यदि अभिलेख होंगे तो वह प्रदान करेगा, किन्तु आवेदक ने यह सूचित किया कि उसके पास भी अभिलेख नहीं है। अतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में अभिलेखों को ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिये। जाँच रिपोर्ट अभी अंतरिम है, अपीलार्थी ने आयोग को यह सूचित किया कि जाँच में उसे जाँच अधिकारी के द्वारा नहीं बुलाया गया, जिससे कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। जहां तक जाँच की प्रक्रिया का संबंध में यह आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर है, किन्तु यह अवश्य है कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जाँच करते समय जाँच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को भी अपना प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

3/ आवेदक ने सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित करने एवं मुआवजा दिलाने हेतु अनुरोध किया है। प्रकरण से स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश सूचना देने में विलम्ब नहीं किया है, चूंकि जाँच दल ने ही अंतरिम जाँच प्रतिवेदन 18–01–2007 को प्रस्तुत किया जो कि 25–01–2007 को प्राप्त हुआ। जन सूचना अधिकारी ने 31–01–2007 को आवेदक को उसकी प्रति प्रदान की। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत कार्यालय में उपलब्ध जानकारी यदि विलम्ब से अथवा द्वेषवश नहीं दी जाती है तो जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने पर विचार किया जा सकता है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में जन सूचना अधिकारी की ओर से विलम्ब नहीं हुआ है, अतः जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को यह निर्देश दिये जाते हैं कि जाँच के संबंध में जाँच दल के द्वारा शीघ्र ही नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुये पूर्ण जाँच कराकर अंतिम जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे, तथा आवेदक को उसकी प्रति जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ इस प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त